रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2014/माघ 21, 1935
No. 53] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2014/MAGHA 21, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 फरवरी, 2014

सं. टीएएमपी/10/2010–बीपीसीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रचालित लिक्विड कार्गो जेट्टी में प्रशुल्क की वैधता विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/10/2010–बीपीसीएल

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ——— **–आवेदक**

कोरम:

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जनवरी 2014 के 10वें दिन पारित)

यह मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा प्रचालित लिक्विड कार्गो जेट्टी में मौजूदा प्रशुल्क की वैधता विस्तारित करने से सम्बंधित है ।

2. उक्त लिक्विड कार्गो जेट्टी में मौजूदा प्रशुल्क आदेश सं. टीएएमपी/10/2010–बीपीसीएल दिनांक 3 सितम्बर, 2010 द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे 12 अक्तूबर, 2012 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण बीपीसीएल के दरमान की वैधता दो बार विस्तारित कर चुका है। इस प्राधिकरण ने बीपीसीएल के मौजूदा दरमान की वैधता पिछली बार अपने आदेश दिनांक 29 अक्तूबर, 2013 द्वारा 31 दिसम्बर,, 2013 तक विस्तारित की थी।

3. बीपीसीएल ने अपने पत्रों दिनांक 16 अक्तूबर, 2012 और 18 फरवरी, 2013 द्वारा अपना प्रस्ताव दाखिल किया था जिसे प्रशुल्क मामला के रूप में पंजीकृत किया गया है और विचार–विमर्श के लिए लिया गया है। प्रस्ताव पर संयुक्त सुनवाई 30 अगस्त 2013 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत,

बीपीसीएल और जेएनपीटी से कार्रवाई शुरू करने और कुछ बिन्दुओं पर सूचना भेजने और हमारे पत्र दिनांक 18 जून, 2013 द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भी 6 सितम्बर 2013 तक भेजने का अनुरोध किया गया था। बीपीसीएल ने अपने पत्रों दिनांक 2 सितम्बर, 2013 और 3 सितम्बर, 2013 द्वारा हमारे पत्र दिनांक 18 जून, 2013 द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर अपना जवाब भेजा है। जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 15 अक्तूबर, 2013 द्वारा जवाब भी भेजा है। बीपीसीएल और जेएनपीटी द्वारा प्रेषित सूचना/स्पष्टीकरणों की जांच की जा रही है और इस मामले पर विचार करने में प्राधिकरण को कुछ और समय लगेगा।

4. इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में सरकार ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता 31 मार्च, 2014 तक अथवा अगले आदेश तक विस्तारित की है। एमओएस द्वारा दी गई सलाह अनुसार, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएएमपी/21/2009–डब्ल्यूएस, दिनांक 20 दिसम्बर, 2013, जिसे जी.सं. 340 द्वारा 26 दिसम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता को विस्तारित किया है।

5. मौजूदा दरमान की वैधता 31 दिसम्बर, 2013 को समाप्त हो चुकी है। अंतिम रूप से विचार किए जाने के लिए इस मामले हेतु अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए, ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति के मद्देनजर और यह भी स्वीकार करते हुए कि प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता 31 मार्च, 2014 तक विस्तारित की गई है, यह प्राधिकरण बीपीसीएल के मौजूदा दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

6. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल 2013 के बाद प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञा.–III/4/असा./143/13]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATON

Mumbai, the 4th February, 2014

No. TAMP/10/2010-BPCL.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the tariff at the liquid cargo jetty operated by the Bharat Petroleum Corporation Limited at the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/10/2010-BPCL

Bharat Petroleum Corporation Limited ——— —Applicant

QUORUM

(i) Shri T. S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 10th day of January 2014)

This relates to extension of the validity of the existing tariff at the liquid cargo jetty operated by the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) at the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

2. The existing tariff at the said liquid cargo jetty was last approved by this Authority *vide* Order No.TAMP/10/2010-BPCL dated 3 September, 2010 which was notified in the Gazette of India on 12 October, 2010. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has extended the validity of SOR of BPCL twice. This Authority has last extended the validity of the existing SOR of BPCL till 31 December 2013 *vide* its Order dated 29 October, 2013.

3. The BPCL has filed its proposal *vide* its letters dated 16 October, 2012 and 18 February, 2013 which is registered as tariff case and is taken on consultation. Joint hearing on the proposal was held on 30 August, 2013. As agreed at the joint hearing, the BPCL and JNPT were requested to initiate action and furnish information on a few points and also furnish the additional information/clarifications sought *vide* our letter dated 18 June, 2013 by 6 September, 2013. The BPCL *vide* letters dated 2 September, 2013 and 3 September, 2013 has furnished its response

to the queries raised *vide* our letter dated 18 June, 2013. The JNPT has also furnished its response *vide* its letter dated 15 October, 2013. The information/clarifications furnished by BPCL and JNPT is being examined and it will take some more time for the case to mature for consideration of the Authority.

4. In the meantime, the Government in Ministry of Shipping (MOS) has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 till 31 March, 2014 or until further orders. As advised by the MOS, this Authority has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 *vide* its Order No. TAMP/21/2009-WS, dated 20 December, 2013 which is notified in the Gazette of India on 26 December, 2013 *vide* G. No. 340.

5. The validity of the existing SOR expired on 31 December, 2013. Recognizing the time required for this case to mature for final consideration, in view of the position explained above and also recognising that the validity of the Tariff Guidelines, 2005 is extended till 31 March, 2014, this Authority extends the validity of the existing SOR of the BPCL from the date of its expiry till 31 March, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty/143/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.